



2026:AHC:65982

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या -

3049 वर्ष 2026

पंकज श्रीवास्तव आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: गणेश मणि

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 72

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदक के लिए अधिवक्ता; और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता मौजूद हैं।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से केस अपराध संख्या-595 वर्ष 2025 में बी.एन.एस., 2023 थाना-कोतवाली फर्रुखाबाद, जिला फर्रुखाबाद की धारा 64, 79, 115(2), 351(2) के तहत दायर किया गया है, जिसमें मुकदमे के समापन तक उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में उसकी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है और निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग करता है: -
 - i. पीड़ित आवेदक का किरायेदार था, और किरायेदारी की समाप्ति के बाद, वर्तमान झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) दर्ज की गई है।
 - ii. प्राथमिकी सात महीने से अधिक की देरी से दर्ज की गई है।
 - iii. बी.एन.एस.एस. दिनांक 16.01.2025 की धारा 173(4) के तहत पीड़िता द्वारा एक आवेदन भी दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाए गए थे जो प्राथमिकी में लगाए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गए आरोपों से अलग हैं। iv. आवेदक की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और वह जांच में सहयोग करने का वचन देता है; अग्रिम ज़मानत मिलने पर वह न तो फरार होगा और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है। हालांकि, वह आवेदक की किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि को इंगित नहीं कर सका। वह प्रस्तुत करता है कि आवेदक प्राथमिकी में एकमात्र आरोपी है और हिरासत में पूछताछ के लिए आवश्यक हो सकता है, इस तरह, उसे अग्रिम ज़मानत देने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

5. मैंने पक्षगण के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

6. सूचनाकर्ता द्वारा 26.12.2024 को कथित रूप से हुए अपराध के संबंध में 28.07.2025 को एक आवेदन दायर करके प्राथमिकी दर्ज की गई है। बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के तहत एक अन्य आवेदन सूचनाकर्ता द्वारा आरोपों के साथ दायर किया गया था, जो प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों से अलग हैं। पुलिस के समक्ष पक्षों के बीच कुछ समझौता भी किया गया प्रतीत होता है, जिसे हलफनामे के अनुलग्नक - 6 के रूप में दायर किया गया है। यह तथ्य कि पीड़िता आवेदक की किरायेदार थी, प्राथमिकी में ही स्वीकार किया गया है, और यह भी स्वीकार किया गया है कि उसे किरायेदार आवास से बाहर कर दिया गया था।

7. इन सभी उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि होने की सूचना नहीं है, मैं आवेदक को अग्रिम ज़मानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

8. आवेदक की अग्रिम ज़मानत याचिका की **अनुमति** है।

9. उपरोक्त मामले के अपराध में संलिप्त आवेदक- पंकज श्रीवास्तव की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित थाना/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा: -



- i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय ज़मानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से प्रस्तुत अग्रिम ज़मानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और मामले के गुण-दोष पर एक राय नहीं मानी जानी चाहिए।

मार्च 30, 2026

कुशल

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)